नियमावली

1. संस्था का नाम : निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

2. संस्था का पूरा पता : 563/20/4 मंगलखेड़ा
आलमबाग, लखनऊ

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारतवर्ष

4. <u>संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग</u> -

प्रत्येक व्यक्ति जिसका होश हवास सही हो और कम से कम 20 वर्ष की आयु का स्वस्थ चित्त हो, चाल-चलन ठीक हो संस्था के नियम तथा उद्देश्य में आस्था रखता हो, संस्था के हित में कार्य करने वाला ही सदस्य बनाया जा सकता है।

(अ) <u>आजीवन सदस्य</u> -
जो सदस्य संस्था को एक मुश्त 5000/- रू0 दान स्वरूप तथा 10/- रू0 प्रवेश शुल्क सदस्यता हेतु देगें तो उन्हें आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

(ब) <u>साधारण सदस्य</u> -
जो व्यक्ति संस्था को कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति पर 1000/- रू0 वार्षिक चन्दा तथा 10/- रू0 प्रवेश शुल्क अदा किया हो तो उन्हें साधारण सदस्य बनाया जा सकता है।

(स) <u>सहानुभूतिकार सदस्य</u> -
जो व्यक्ति संस्था को 250/रू0 प्रति वर्ष दान देता है तो उन्हें सहानुभूतिकार सदस्य बनाया जा सकता है।

5. <u>सदस्यता की समाप्ति</u> -
निम्नलिखित कारणों से संस्था के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है -

(अ) <u>मृत्यु</u> -
कोई भी सदस्य संस्था के कार्यकाल में मर जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(ब) <u>पागलपन</u> -
कोई भी सदस्य जो पागल हो गया हो, तथा दिवालिया, दुष्चरित्र, विकृत बुद्धि हो गया हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जायेगी।

(स) <u>दण्डित होना</u> -
अगर कोई सदस्य किसी प्रकार के जुर्म में दण्डित किया हो तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(द) <u>शुल्क न देना</u> -
संस्था के लिए प्राप्त धन को संस्था के पास जमा न कर तथा उसका कोई हिसाब न देने पर

(य) संस्था के नियमों का पालन न करने पर तथा संस्था को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की चेष्टा कराना, संस्था के कार्यों में रूचि न लेने पर और संस्था के कार्यों में सहयोग न देने पर।

(र) लगातार तीन बैठकों में शामिल न होने पर।

(ल) संस्था के 2/3 सदस्यों से अधिक की सहमति से सदस्यता से अलग किया जा सकता है।

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स